न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 61/2013
आरसीएमएस नं0 2013/00076
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट 1955

1. जसवीर सिह–मृतक
1/1 गुरशरणसिंह पुत्र स्व0 जसवीरसिह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी जिला हनुमागनढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. कर्मजीतसिंह पुत्र तारासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. गुरमेल सिह पुत्र तारा सिंह –फौत
2/1 छिन्द्रकौर पत्नी गुरमेलसिंह कम्बोजसिख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2/2 दिलबाग सिंह पुत्र गुरमेल सिंह कम्बोज सिख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2/3 गुरविन्द्रकौर पुत्री गुरमेलसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2/4 परमजीतकौर पुत्री गुरमेलसिह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2/5 सर्वजीतकौर पुत्री गुरमेलसिह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. इकबालसिंह पुत्र तारा सिंह जाति कम्बोज सिंह ख निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.07.2013
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 32/2012 बअनवान कर्मसिंह बनाम जसवीर सिह आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांकः– 19.07.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक नं. 7 एसआरडब्ल्यू के प0 नं0 206/279 किला नं. 12, 19, 20 की पूर्वी सीमा पर रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता को स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. अपील पेश होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 27.06.2022 को राजीनामा पेश किया एवं राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
4. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा किया है। राजीनामा के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2013 के अन्तर्गत चक 7 एसआरडब्ल्यू के प. नं. 206/279 (41) के किला नं. 12, 19, 22 के पूर्वी सिरे पर प्रत्येक बीधा में 0.018 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया में से किला नं. 12 व 19 में स्वीकृत किये गये रास्ता की सीमा तक आदेश को अपास्त करवाने में सहमत हैं तथा प. नं. 206/279 (41) किला नं. 22 में पूर्वी सिरे पर स्वीकृत रास्ता 0.018 है0 के स्थान पर 0.021 है0 रास्ता स्वीकृत किये जाने में सहमत हैं।
5. अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2013 में चक 7 एसआरडब्ल्यू के प. नं. 206/279 (41) के किला नं. 12, 19, 22 के पूर्वी सिरे पर प्रत्येक बीधा में 0.018 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया में से किला नं. 12 व 19 में स्वीकृत किये गये रास्ता की सीमा तक आदेश को अपास्त किया जाता है एवं प. नं. 206/279 (41) किला नं. 22 में पूर्वी सिरे पर स्वीकृत रास्ता 0.018 है0 के स्थान पर 0.021 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22
(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)